लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल dpiassembly-mp@ nic.in

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/46/ /2010/ **भोपाल, दिनांक 05.02.2010**

प्रति,

1.समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
2.जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के पंजीकरण, ई–सेवापुस्तिका एवं वेतन आहरण के संबंध में निर्देश।

संदर्भः–लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. का पत्र क्रमांक/एज्यूकेशन पोर्टल /2009/ 8296–8297 भोपाल, दिनांक 25.11.09.

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र में दिए गए निर्देशों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाना थी। खेद का विषय है कि निर्देशानुसार कार्रवाई सम्पन्न नहीं की गई। नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि –

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षकों का पंजीकरण एज्यूकेशन पोर्टल पर करते हुए शिक्षक को यूनिक आईडी आवंटित किया जावे।
2. यूनिक आईडी आवंटन के उपरांत ई–सेवापुस्तिका की जानकारी की प्रविष्टि की जावे।
3. नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षक को एक दिवसीय सामान्य प्रशिक्षण देने के उपरांत संबंधित शाला में संबंधित संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करावें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जावेगी।

05.02.10
(वी.एस.सक्सेना)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/47/ /2010/ **भोपाल, दिनांक 05.02.2010**

प्रतिलिपिः–

1.प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2.आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.।
3.आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4.संचालक लोक शिक्षण, म.प्र.।
5.समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।

05.02.10
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.